कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

विभागीय पदोन्नति समिति 2017–18 से चयनोपरान्त काउंसलिग आयोजित कर सुल्तान राम का पदस्थापन व्याख्याता पंजाबी के पद पर राउमावि गद्दरखेड़ा, सादुलशहर, श्रीगंगानगर में किया गया, जहां याचिकार्थी द्वारा दिनांक 11/6/18 को कार्यग्रहण कर लिया गया । श्री सुल्तानराम ने अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 17148/2018 दायर की। याची का कथन है कि राउमावि गाहडू एवं राउमावि 31एसएसडब्ल्यु, हनुमानगढ में पद रिक्त था । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थीगण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारित करने का आदेश दिया है । माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

याचिकार्थी से प्राप्त सबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया और पाया गया कि उक्त याचिकार्थी द्वारा दिनांक 11/6/18 को राउमावि गद्दरखेड़ा, सादुलशहर, श्रीगंगानगर में व्याख्याता भूगोल के पद पर कार्यग्रहण किया जा चुका है । याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्यहित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है, पदोन्नति पर याची का काउन्सलिंग के लिये वरीयता क्रम निर्धारित किया गया तथा उसी क्रम में याची को अपना पदस्थापन स्थान के चयन का अवसर दिया गया और याची ने उक्त विद्यालय का चयन करते हुवे अपना सहमति पत्र दिया । अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं होने के कारण याचिकार्थी का अभ्यावेदन खारिज करते हुए निस्तारित किया जाता है । सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी–5/**याचिका सं0 17148**/सुल्तानराम/18 — दिनांक 29-11-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
3. संबंधित कार्मिक सुल्तानराम राउमावि गद्दरखेड़ा, सादुलशहर, श्रीगंगानगर
4. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर